न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

मु.न.– 09/2025

बिमला पत्नी सोहन लाल, जाति ब्राह्मण, निवासी भालेरी तहसील तारानगर जिला चूरू।

–प्रार्थी–

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तारानगर जिला चूरू

–अप्रार्थी–

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवनयू एक्ट

निर्णय दिनांक 07.04.2025

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में कृषि भूमि रोही मौजा रैताना के खसरा सं. 273/35 तादादी 7.3341 हैक्ट. प्रार्थी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का का नाम विमला देवी पत्नी सोहनलाल अंकित है। प्रार्थी का कथन है कि आधार कार्ड, पहचान–पत्र, राशनकार्ड तथा अन्य दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम बिमला पत्नी सोहन लाल है। प्रार्थी जमांबदी में अपना नाम विमला पत्नी सोहनलाल के स्थान पर बिमला पत्नी सोहन लाल करवाने का निवेदन किया है। नाम में भिन्नता होने के कारण प्रार्थी को कृशि ऋण, फसल बेचान आदि में काफी परेशानी का सामना करना पडता है। अब प्रार्थीनी जमाबन्दी में दुरूस्ती करवाना चाहती है। इसलिए वाद पेश कर रही है।

अतः कृषि भूमि रोही मौजा रैताना के खसरा सं. 273/35 तादादी 7.3341 हैक्ट. में प्रार्थीनी का नाम बिमला पत्नी सोहन लाल किये जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट में पटवार हल्का ने प्रार्थीनी विमला पत्नी सोहनलाल के स्थान पर बिमला पत्नी सोहन लाल व विमला देवी पत्नी सोहनलाल दोनों नाम एक ही महिला का होना अंकित किया है। राजपैरोकार ने जांच रिपोर्ट के अलावा कोई जवाब पेश नहीं किया। प्रकरण का को कोई खण्डन पेश नहीं हुआ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार तारानगर की रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड, राशनकार्ड, पहचान–पत्र से प्रार्थीनी का नाम बिमला पत्नी सोहन लाल पाया जाता है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीनी का नाम विमला देवी पत्नी सोहनलाल अंकित है। नाम में भिन्नता से प्रार्थी को परेशानी होना सम्भव है।

अतः वाद पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि रोही मौजा रैताना के खसरा सं. 273/35 तादादी 7.3341 हैक्ट. के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थीनी का नाम विमला देवी पत्नी सोहनलाल विलोपित (Delete) कर इसके स्थान पर बिमला पत्नी सोहन लाल अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती के आदेश दिये जाते है तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय है। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.04.2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)